संचिका सं0—10/रेफ0—06—03/2017— 04 (10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक— 30-7-18

विषयः— वित्तीय वर्ष 2017—18 में समस्तीपुर जिलान्तर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल, ताजपुर के जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 6,91,87,000/— (छः करोड़ एकानवें लाख सतासी हजार रुपये) की स्वीकृति के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष में रुपये 3,00,00,000/—(तीन करोड़ रुपये) मात्र व्यय निमित आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम के पत्रांक—1756, दिनांक—22.08.2017 से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017—18 में समस्तीपुर जिलान्तर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल, ताजपुर के जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण हेतु कुल 6,91,87,000/— (छः करोड़ एकानवें लाख सतासी हजार) रुपये की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या—829(10), दिनांक—26.08.2017 से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तद्क्रम में विभागीय राज्यादेश संख्या—354.(10), दिनांक—24.07.2018 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल रुपये 3,00,00,000/—(तीन करोड़ रुपये) मात्र व्यय निमित आवंटन दी जाती है। शेष राशि कार्य की प्रगति के आधार पर अनुपूरक आगणन/आगामी वित्तीय वर्ष में मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः—

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0—20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष—02—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष—103—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष— 0101—रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड—20-4210021030101, विषय शीर्ष—(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या–244 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।

(5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी०सी० विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

(6) यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 वि०(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक–27.11.2007, 96/वि०(2), दिनांक–03.01.2008, 3923/वि०(2), दिनांक–09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

(9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 04(10)a /स्वा०, पटना, दिनांक– 30-7-18

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/सिविल सर्जन, समस्तीपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल, ताजपुर (समस्तीपुर)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Fax

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/ प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई०टी० मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।